झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–783 वर्ष 2017

बाबूलाल महतो, पुत्र–स्वर्गीय जय किशुन महतो, निवासी ग्राम–अरकोशा, डाकघर–पंडरिया, थाना–मरकच्चो, जिला–कोडरमा, झारखण्ड।

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

झारखंड राज्य एवं अन्य .... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री के0एस0 नंदा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री अतनु बनर्जी, अधिवक्त

7/दिनांकः 06 मार्च, 2020

श्री के0एस0 नंदा, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता और श्री अतनु बनर्जी, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को लागू करने के माध्यम से याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता यह प्रस्तुत करते हैं कि रैयती मान्यता प्रमाण पत्र का मुद्दा उपायुक्त, कोडरमा के पास लंबित है और उस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। वह आगे कहते हैं कि यद्यपि सर्कल ऑफिसर,

मार्कच्चो और डी0सी0एल0आर0, कोडरमा द्वारा दिया गया रिपोर्ट याचिकाकर्ता के पक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद मामला अभी भी लंबित है।

श्री अतनु बनर्जी, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि मामले के इस पहलू को काउंटर हलफनामे में कहा गया है कि रैयत मान्यता केस संख्या 1/08–09 उपायुक्त, कोडरमा के समक्ष लंबित है।

काउंटर एफिडेविट में दिए गए बयान के मद्देनजर और मामले की योग्यता पर विचार किए बिना याचिकाकर्ता की सीमित प्रार्थना पर विचार करते हुए, उपायुक्त, कोडरमा को निर्देश दिया जाता है कि वह पार्टियों के कानून के अनुसार सुनवाई का सभी अवसर प्रदान करने के बाद आठ सप्ताह की अवधि के भीतर उस मामले पर निर्णय दें।।

उपरोक्त संप्रेक्षण और निर्देश के साथ, इस तत्काल रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)